भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2937
10 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

बीएसपी भूमि के राज्य सरकार को हस्तांतरण की स्थिति

2937. श्री विजय बघेलः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क्या इस्पात मंत्रालय लोक सभा प्रश्न संख्या 1755 दिनांक 10-02-2026 को बीएसपी भूमि के राज्य सरकार को हस्तांतरण के संबंध में संदर्भ लेने और यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेल/बीएसपी द्वारा राज्य सरकार को 290.26 एकड़ और 151.46 एकड़ भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए समझौता ज्ञापन के माध्यम से आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और उन्हें श्रम बसावट में मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीएसपी की भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित न किए जाने के कारण जनता को सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे पट्टा वितरण, प्रधानमंत्री आवास, बुनियादी सुविधाएं आदि का लाभ नहीं मिल रहा है और इस बारे में कई वर्षों से अनुरोध किया जा रहा है और उक्त अनुरोध आज की तिथि तक लंबित है जिसके कारण क्षेत्र में असंतोष है; और

(घ) संपूर्ण श्रमिक बसावट क्षेत्र को कब तक नेवई बस्ती, मरोदा में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क)से (घ): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया/भिलाई इस्पात संयंत्र (सेल/बीएसपी) ने 290.26 एकड़ भूमि (जो रुआबांधा, मरोदा, जोरातरई, पुरेना, छावनी और खुरसीपारा गांवों में स्थित) और नेवाई गांव में 151.46 एकड़ भूमि (मौहारी बगीचा, स्टेशन मरोदा, नेवाई (एचएससीएल कॉलोनी), नेवाई पुरानी बस्ती और नेवाई भाटा) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को सौंप दी है।

सेल/बीएसपी और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापनों के अनुसार, नेवाई बस्ती, मारोदा, तहसील और दुर्ग जिला सहित भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सड़कें, पेयजल, बिजली और सामुदायिक शौचालय जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाएं स्थानीय प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी हैं।

सहमति ज्ञापनों के तहत चिन्हित भूमि के संबंध में सेल/बीएसपी की ओर से सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।

*****